

राजस्थान विधान सभा
अष्टम् सत्र
विधान सभा समाचार (बुलेटिन)
भाग-2
(विधान शाखा)

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या: 23

विधान सभा भवन,
जयपुर, दिनांक 08 मार्च, 2017

निदेशानुसार समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-2018 के लिये अनुदान की मांगों जिन तिथियों को तथा जिस क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी, उन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017

मांग संख्या – 37	कृषि
मांग संख्या – 39	पशुपालन एवं चिकित्सा
मांग संख्या – 36	सहकारिता

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017

मांग संख्या – 19	लोक निर्माण कार्य
मांग संख्या – 20	आवास
मांग संख्या – 21	सड़कें एवं पुल

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017

मांग संख्या – 24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति
------------------	--------------------------

गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017

मांग संख्या – 6	न्याय प्रशासन
मांग संख्या – 16	पुलिस
मांग संख्या – 17	कारागार

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017

मांग संख्या – 26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई
------------------	------------------------------------

शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017

मांग संख्या – 9	वन (पर्यावरण सहित)
मांग संख्या – 43	खनिज

सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017

मांग संख्या – 28

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

मांग संख्या – 49

स्थानीय निकायों और पंचायती राज
संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017

मांग संख्या – 27

पेयजल योजना

मांग संख्या – 46

सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)

उपरोक्त मांगों से संबंधित कटौती-प्रस्ताव जिस दिन मांग सदन में विचारार्थ ली जायेगी, प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्रत्येक मांग पर मतदान भी उसी दिन होगा ।

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के अन्तिम दिन अर्थात् मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017 को जो मांगे शेष रह जायेगी, उस पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर उन्हें सदन में मतदान हेतु तुरन्त प्रस्तुत किया जायेगा ।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-148 के अनुसार कटौती प्रस्तावों की सूचना, मांग के सदन में विचारार्थ लिये जाने के दो दिन पूर्व (कार्य दिवस) मध्यान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त होने पर ही उनकी ग्राह्यता पर विचार किया जा सकेगा । साथ ही प्रक्रिया के नियम 148-का के अन्तर्गत किसी एक मांग के अनुदान को कम करने के पाँच से अधिक कटौती प्रस्तावों की सूचना ग्राह्य नहीं होगी ।

पृथ्वी राज,
सचिव ।